चिकित्सीय प्रमाण–पत्र के संबंध में व्यवस्था

1– उ0प्र0 पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2008 (यथा संशोधित–2009) के नियम–13 में यह व्यवस्था है कि किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाये ।

2– किसी अभ्यर्थी से यह अपेक्षा फण्डामेण्टल रूल्स–10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्सियल हैण्डबुक खण्ड–2 भाग–3 के अध्याय–3 में दिये गये नियमों के अनुसार की जाती है। इन नियमों के अनुसार अभ्यर्थी को स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। पुलिस आरक्षी के सम्बन्ध में नियुक्ति पत्र जारी करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक में निहित है। अतः नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थी से उसका स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक में ही निहित है ।

3– फण्डामेण्टल रूल्स–10 के अनुसार 'इस नियम द्वारा की गयी व्यवस्था के सिवाय कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में किसी स्थायी पद पर स्वास्थ्य का चिकित्सीय प्रमाण–पत्र के बिना मौलिक रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। चिकित्सीय प्रमाण–पत्र ऐसे प्रपत्र में दिया जायेगा और उस पर ऐसे चिकित्सक या अन्य अधिकारियों द्वारा, जिन्हें राज्यपाल सामान्य नियम या आदेश द्वारा विहित करें, हस्ताक्षर किया जायेगा। राज्यपाल, व्यक्तिगत मामलों में प्रमाण–पत्र देने से विमुक्त कर सकते हैं, और किसी सामान्य आदेश द्वारा किसी निर्दिष्ट वर्ग के सरकारी सेवकों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।'

4– एक बार जब किसी व्यक्ति से सरकारी सेवा में प्रवेश के लिये स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिये कह दिया जाता है और वास्तव में उसकी चिकित्सीय परीक्षा कर ली गयी हो और उसे अस्वस्थ घोषित कर दिया गया हो तब नियुक्ति–अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह प्रस्तुत किये गये चिकित्सा प्रमाण–पत्र की उपेक्षा कर दे ।

5– फाइनेन्सियल हैण्डबुक खण्ड–2 भाग–3 के अध्याय–3 में सरकारी सेवा के लिये स्वस्थता के प्रमाण–पत्र की व्यवस्था दी गयी है। मूल नियम–10 के अन्तर्गत राज्यपाल के आदेश द्वारा बनाये गये सहायक नियम–10 के अन्तर्गत जब तक कि किसी विशेष सेवा या पद में भर्ती को विनियमित करने वाले नियमों, विनियमों या अनुदेशों के अन्तर्गत चिकित्सीय प्रमाण–पत्र का कोई अन्य प्रपत्र निर्धारित न किया गया हो, सरकारी सेवा के लिये स्वस्थता के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र निर्धारित है। सहायक नियम–11 के अन्तर्गत ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर नियुक्त हुये व्यक्ति से, जिनके लिये चिकित्सा परिषद द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा निर्धारित है, यदि वे चिकित्सा परिषद द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा किये जाने की तिथि के 06 महीने के भीतर नियुक्त कर दिये गयें हो, स्वस्थता के प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

6– सहायक नियम–11 से सम्बन्धित राज्यपाल के आदेश इस प्रकार हैं 'यदि किसी व्यक्ति से सरकारी सेवा में प्रवेश पाने के लिये एक बार स्वस्थता चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिये कहा जाता है और उसकी वास्तविक रूप से स्वास्थ्य परीक्षा की जाती है और उसे अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये प्रमाण–पत्र की उपेक्षा करने हेतु अपने विवेकाधिकार का उपयोग करने की छूट नहीं रहती है ।

सहायक नियम–12, 13, 15, 16 व 17 में भी स्वस्थता प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित व्यवस्था दी गयी है ।